बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग।

पत्रांक– डैम कार्य–79/2000 (पार्ट–III)– 296 पटना, दिनांकः– 13.06.2022

आदेश

बिहार राज्य के सभी बड़े बाँधों की सुरक्षित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने निमित्त बाँधों के निरीक्षण, रख–रखाव एवं निगरानी हेतु भारत सरकार से प्राप्त परामर्श पर विभागीय संकल्प पी0एम0सी0–3 (जे0) 60/85 भाग–II छाया संचिका 1854/पटना, दिनांक 30.12.1995 से एक स्वतंत्र डैम सुरक्षा प्रकोष्ठ का सृजन किया गया।

केन्द्र सरकार द्वारा **"बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021"** दिनांक 14.12.2021 को अधिसूचित किया गया है, जिसके प्रावधान दिनांक 30.12.2021 से प्रभावी हैं। बिहार राज्य के अन्तर्गत 27 (सताईस) बाँधों एवं 5 (पाँच) प्रमुख बराजों के निरीक्षण, रख–रखाव एवं निगरानी हेतु बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा–(14) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिनियम लागू होने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर **"राज्य बाँध सुरक्षा संगठन"[State Dam safety Organisation (SDSO)]** का गठन किये जाने का प्रावधान है।

जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक–295 दिनांक–13.06.2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना का प्रभारी प्रमुख नामित किया गया है।

उक्त प्रावधान के आलोक में **बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021** के लागू होने के उपरान्त अधिनियम की धारा–14 के प्रावधानों के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा पूर्व से सृजित **डैम सुरक्षा प्रकोष्ठ** के स्थान पर **"राज्य बाँध सुरक्षा संगठन" [State Dam safety Organisation (SDSO)]** को निम्नवत् गठित किया जाता है :–

क्र0	पदनाम	संख्या	अभियुक्ति
1.	मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना–सह–प्रभारी प्रमुख, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	01	
2.	निदेशक (अधीक्षण अभियन्ता स्तर), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	01	
3.	उप निदेशक–1 (कार्यपालक अभियन्ता स्तर), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	01	
4.	उप निदेशक–2 (कार्यपालक अभियन्ता स्तर), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	01	
5.	उप निदेशक–3 (कार्यपालक अभियन्ता स्तर), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	01	

6.	उप निदेशक–4 (यांत्रिक) (कार्यपालक अभियन्ता स्तर), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	01	यांत्रिक संवर्ग का पद
7.	सहायक निदेशक (सहायक अभियन्ता स्तर), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	12	
8.	सहायक निदेशक (यांत्रिक), (सहायक अभियन्ता स्तर), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	04	यांत्रिक संवर्ग का पद
9.	कनीय अभियंता, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	12	
10.	कनीय अभियंता (यांत्रिक), राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	04	यांत्रिक संवर्ग का पद
11.	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	01	
12.	प्रधान लिपिक	02	
13.	उच्च वर्गीय लिपिक	03	
14.	निम्न वर्गीय लिपिक	01	
15.	प्रारुपकार कोटि –1	01	
16.	प्रारुपकार कोटि –2	01	
17.	अनुरेखक	01	
18.	नील चित्रक	01	
19.	चालक	01	
20.	कार्यालय परिचारी	06	

"राज्य बाँध सुरक्षा संगठन" **[State Dam safety Organisation (SDSO)]** के कर्तव्य एवं कार्य **बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021** के चैप्टर VI एवं XI के अनुरुप होंगे ।

13/06/22

(अरविन्द मोहन ठाकुर)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:– 296 पटना, दिनांक:– 13.06.2022

प्रतिलिपि:– सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को उनके अर्ध0शा0 पत्र संख्या–N–52011/1/2021–BM, दिनांक–01 फरवरी, 2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

13/06/22

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांकः– 296 पटना, दिनांकः– 13.06.2022

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, (यांत्रिक सहित) जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक, डैम सुरक्षा प्रकोष्ठ, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

13/06/22

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांकः– 296 पटना, दिनांकः– 13.06.2022

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कराने हेतु।

13/06/22

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।